उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान (नवीन भवन), कालाकांकर हाउस,
पुराना हैदराबाद, लखनऊ-226007

पत्रांक 10619 /यू.पी.रेरा/प्रशा.प्रको./2024-25 दिनांकः 29/07/2024

<u>कार्यालय आदेश</u>

प्रदेश के रियल-एस्टेट सेक्टर के विकास में भू-संपदा अभिकर्ताओं की अहम भूमिका एवं योगदान को ध्यान मे रखते हुए एवं अभिकर्ताओं द्वारा संपादित किए जा रहे कार्यों में ओर अधिक स्थिरता लाए जाने के उद्देश्य से उ.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा अभिकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इससे अभिकर्ताओं को नियामक ढांचे का ज्ञान, नियमों की समझ, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले दिशा-निर्देशों के अनुपालन एवं जागरूकता बढ़ेगी तथा सेक्टर के नियमन एवं समग्र विकास में भी बढ़ोतरी होगी।

उ.प्र. रेरा में पंजीकरण से पूर्व अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण ग्रहण कर प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। जो अभिकर्ता उ.प्र. रेरा में पहले से पंजीकृत हैं, उनके द्वारा एक वर्ष की अवधि में प्रशिक्षण ग्रहण कर प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा अन्यथा पूर्व मे निर्गत किया गया पंजीकरण रद्द हो जाएगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम रेरा अधिनियम, उ.प्र. रेरा नियमावली, विनियमों, समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों, हितधारकों की भूमिका एवं जिम्मेदारियों, घर खरीदारों तथा प्रोमोटर्स के मध्य रियल एस्टेट लेनदेन को सुविधाजनक बनाने हेतु प्रासंगिक कानूनों पर केंद्रित होगा। प्रशिक्षण कुल तीन दिवस का होगा तथा अभिकर्ताओं को मूल्यांकन के उपरांत प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाएंगे। वर्तमान मे प्रशिक्षण कार्यक्रम मे प्रतिभाग करने हेतु जनपद लखनऊ के पंजीकृत अभिकर्ताओं से रेरा पोर्टल पर अनलाइन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं।

उपरोक्त के क्रम मे प्रशिक्षण कार्यक्रम मे प्रतिभाग करने हेतु निम्नलिखित जनपदों के पंजीकृत अभिकर्ताओं के लिए रेरा पोर्टल पर आवेदन की सुविधा प्रदान की जाती है –

1. गौतमबुद्ध नगर
2. कानपुर
3. गोरखपुर
4. वाराणसी
5. प्रयागराज

6. मुरादाबाद

7. अयोध्या

अतः उपरोक्त के संबंध मे एतद्वारा निर्देश दिए जाते हैं कि उ.प्र. रेरा मे पंजीकृत उपरोक्त जनपदों के अभिकर्तागण रेरा पोर्टल पर अपने लॉगिन से प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले चरण हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना तत्काल सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी आवेदन के उपरांत प्रदान की जाएगी।

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
सचिव